1 P.

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

:: अधिसूचना ::

संख्या–06 / विविध (दु0 मु0)–19 / 2024 - 9965 पटना, दिनांक– 27/08/2024

मोटरयान (यथा संशोधित) अधिनियम, 1988 की धारा–165 सह पठित धारा–176 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा–212 के अधीन यथा अपेक्षित पूर्व प्रकाशन अधिसूचना सं0–9615, दिनांक–07.08.2024 द्वारा किया जा चुका है।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के नियम–7 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"7. मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति।–

(i) इस नियमावली के अंतर्गत गठित बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आधार पर, आवेदकों का चयन एक चयन समिति द्वारा की जायेगी।

(ii) दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु चयन समिति निम्नरूपेण होगी:–

(क)	मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना अथवा उनके द्वारा नामित वर्त्तमान अथवा सेवानिवृत न्यायाधीश।	–	अध्यक्ष
(ख)	महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना।	–	सदस्य
(ग)	सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी।	–	सदस्य
(घ)	सचिव–सह–विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना।	–	सदस्य
(ड़)	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी (अपर सचिव से अन्यून)।	–	सदस्य

(iii) चयन समिति द्वारा राज्य सरकार के निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार मेधा सूची के साथ चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा परिवहन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। तद्नुसार राज्य सरकार के अनुमोदन से बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी।

3. बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के नियम–8 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"8. पदत्याग एवं पद से हटाया जाना।–

(i) दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा पदत्याग अथवा उन्हें पदमुक्त किया जाना:– नियुक्ति के पश्चात् कार्यरत अध्यक्ष द्वारा किसी निजी कारणवश पदत्याग किया जा सकेगा, परन्तु इसके लिए उन्हें एक माह (30 दिन) पूर्व सूचना देना अपेक्षित होगा, ताकि न्यायिक कार्यवाही में अकस्मात् अवरोध उत्पन्न नहीं हो।

(ii) पदत्याग के लिए पूर्व सूचना :– इस उद्देश्य से सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग को सम्बोधित कर सूचना दी जा सकेगी, ताकि यथाशीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।

(iii) अध्यक्ष की पदमुक्ति :– किसी कार्यरत अध्यक्ष को अपरिहार्य कारणवश प्रशासनिक दृष्टिकोण से पदमुक्त किये जाने की आवश्यकता होने पर, परिवहन विभाग द्वारा इस नियमावली के तहत संशोधित नियम–7 (ii) के अंतर्गत गठित चयन समिति के समक्ष मामलों को रखकर चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त पदमुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी।"

4. बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के नियम–15 (i) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

15.(i) (क) इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् तत्समय प्रभावी मोटरवाहन अधिनियम, 1939 के अधीन, बिहार मोटरगाड़ी दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 1961 के अंतर्गत सभी जिला में गठित दावा न्यायाधिकरणों के स्तर पर अबतक विचाराधीन लंबित दावा वाद-- [जो 01.04.2019 को अथवा उसके पश्चात् दायर किये गये हों] संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्तर से इन प्रमंडल स्तरीय न्यायाधिकरणों को निष्पादन हेतु हस्तान्तरित किये जा सकेंगे।

(ख) दिनांक–01.04.2019 पूर्व के दावा वाद (जो अभी लंबित हों) जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के स्तर पर अधिसूचित दावा न्यायाधिकरण के स्तर से ही निष्पादित किया जायेगा, परन्तु नए दुर्घटना दावा वाद इनसे पूर्व गठित दावा न्यायाधिकरणों में दायर नहीं किये जा सकेंगे।

(ग) बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021, बिहार मोटरगाड़ी दुर्घटना दावा (गठन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2023 (अधिसूचना संख्या–7997, दिनांक–20.10.2023) के तहत अबतक की गई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन की गई व्यवहृत मानी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(हस्ताक्षर) 27/8

(संजय कुमार अग्रवाल)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:–06/विविध (दु0 मु0)–19/2024 9965 पटना, दिनांक– 27/08/2024

प्रतिलिपि:– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/ माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी अनुमंडलाधिकारी/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 27/8

सरकार के सचिव।

...\Ravi sir\Sec6\adhisuchana.docx

ज्ञापांकः– 9965 पटना, दिनांक– 27/08/2024

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27/8

सरकार के सचिव।

9D:\2023\Ra...r\Sec6\adhisuchana.docx